संख्या-12 /2025/152 /002-53-1099-099-32-2024

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2025**

विषयः- उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 अंतर्गत मै0 टेरीस्टेरियल फूड प्रोसेसिंग प्रा0लि0, अमरोहा को ब्याज उपादान की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-173/दुग्ध नीति-2018/ब्याज उपादान/पुनार्विनियोग, दिनांक 13 फरवरी, 2025 व पत्रांक-121-22/दुग्ध नीति-2018/ब्याज उपादान प्रस्ताव/पुनर्विनियोग, दिनांक 31 जनवरी,2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मै0 टेरीस्टेरियल फूड प्रोसेसिंग प्रा0लि0, अमरोहा को वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के ब्याज उपादान रू0 45.105 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरांत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ०प्र० दुग्ध नीति-2018 योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 783.51 लाख (रूपये सात करोड तिरासी लाख इक्यावन हजार मात्र) के सापेक्ष मै0 टेरीस्टेरियल फूड प्रोसेसिंग प्रा0लि0, अमरोहा को वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के ब्याज उपादान रू0 45,10,500 (रूपये पैतालिस लाख दस हजार पॉच सौ मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान नीति विषयक गाईडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) अनुदान वितरण से पूर्व अर्हताओं एवं औपचारिकताओं की पूर्ति दुग्ध आयुक्त,दुग्धशाला विकास द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 अंतर्गत संस्थाओं/प्रमोटर्स के ब्याज उपादान के भुगतान हेतु किया जायेगा ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस कार्य/मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उस कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है ।

(8) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(9) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का उत्तरदायित्व होगा ।

(10) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर लिया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र०शासन के कार्यालय-ज्ञाप 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च, 2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **45,10,500 (रूपये पैतालिस लाख दस हजार पाँच सौ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 2404001020900 उ0प्र0 दुग्ध नीति -2018 मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राम सहाय यादव

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

//shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 12 /2025/152/002-53-1099-099-32-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

5-वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनु0-1/नियोजन अनु0-3/राज्य योजना आयोग-3/दुग्ध विकास अनु0-2,उत्तर प्रदेश शासन।

7- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह,
अनु सचिव।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।